

// विज्ञप्ति सूचना //

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी में रिक्त पदों की पूर्ति की जानी है, म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय का परिपत्र क्रमांक एफ 4-60/2017/55-2, भोपाल दिनांक 06.05.2017/12.05.2017 के द्वारा नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी के लिये पद सृजित किये गये हैं। म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक एफ2-06/2018/1-55 भोपाल दिनांक 07.04.2018 के द्वारा "म.प्र. स्वशासी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सकीय, परिचारिका एवं सह चिकित्सकीय संवर्ग के लिये सेवा आदर्श नियम 2018" प्रतिस्थापित किया गया है एवं नवीन सीधी भर्ती के प्रावधान किये गये हैं जिनके तहत सीधी भर्ती की जाना है।

म.प्र. लोक सेवा अधिनियम 1994 (कं 21 सन् 1994) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार एतद् द्वारा म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) नियम 1998 में संशोधन दिनांक 19.08.2019 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी के माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्याधीन सीधी भर्ती द्वारा राज्य स्तरीय रोस्टर का पालन करते हुये आकरिम्क चिकित्सा अधिकारी एवं महिला चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना है। ऐसे आवेदक जो कि शासन/एन.एम.सी (एम.सी.आई.) द्वारा निहित आहर्तायें पूर्ण करते हो इस हेतु आवेदन कर सकते हैं।

उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट <http://shivpurimedicalcollege.com> एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट [www.medicaleducation.mp.gov.in](http://www.medicaleducation.mp.gov.in) पर उपलब्ध रहेगा। आवेदन दिनांक 07.01.2022 एवं अंतिम दिनांक 22.01.2022 को समय - शाम 05:00 बजे तक किये जा सकेंगे। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से अधिष्ठाता कार्यालय, श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी की आवक-जावक शाखा में जमा कराये जा सकते हैं। आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी में चिकित्सकीय, परिचारिका एवं सह चिकित्सकीय संवर्ग हेतु आवेदन एवं विषय..... तथा आवेदित पद का नाम..... और आरक्षित/अनारक्षित..... श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया  
चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.)

## कार्यालय अधिष्ठाता शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.)

### // विज्ञप्ति //



मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2-06/2018/1-55 दिनांक 07.04.2018 द्वारा मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम 2018 के अन्तर्गत शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी के अधीन निम्नलिखित रिक्त पदों की सीधी भर्ती द्वारा पूर्ति की जाना है। इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :

सं.क्र.	पदनाम	आरक्षण की स्थिति				
		3	4	5	6	7
1	2	UR	SC	ST	OBC	EWS
1	आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी	1+1F	1	2	2	—
2	महिला चिकित्सा अधिकारी	1	—	—	1	—

#### सामान्य शर्तें :-

- उम्मीदवार को म.प्र. का मूल निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी।
- शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी में पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। एक उम्मीदवार एक पद के अलावा अन्य पदों पर भी आवेदन कर सकता है। यदि उम्मीदवार पद के लिये निर्धारित आहर्ता रखता है जिसके लिये उसे अलग से निर्धारित आवेदन शुल्क देना होगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय/अर्धशासकीय/सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं एवं विज्ञापित पदों हेतु न्यूनतम आहर्ता एवं आयु सीमा संबंधी सभी मापदण्डों को पूर्ण करते हों। उन्हें दस्तावेज सत्यापन के दौरान वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर कीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग) तो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें म.प्र. शासन के वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र की एक प्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान जमा करनी होगी।
- उम्मीदवारों को पूर्ण रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है एवं नियुक्ति के समय मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
- अधिष्ठाता शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी द्वारा किसी भी समय, किसी भी स्तर पर आंशिक या पूर्ण रूप भर्ती प्रक्रिया को बिना किसी कारण रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में महाविद्यालय की कोई जवाबदारी नहीं होगी।
- शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी किसी भी समय किसी भी स्तर पर विज्ञप्ति को बिना

8. नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. ग्वालियर खण्डपीठ में मान्य होगा। चयन प्रक्रिया संबंधी किसी भी विवाद में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
9. ऐसे आवेदक जिनको दिनांक 26.01.2001 तथा उसके बाद तृतीय बच्चे का जन्म हुआ है, चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिये पात्र नहीं होंगे।
10. वैवाहिक स्थिति – एक से अधिक विवाह किये गये उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे। अगर प्रथम विवाह से विच्छेद न हुआ हो अथवा मृत्यु न हुई हो।
11. किसी भी पद हेतु आवेदन करने के पूर्व आवेदक विज्ञापन का गहन अध्ययन कर लें।
12. भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत किसी भी उम्मीदवार की दावेदारी पर विचार नहीं किया जायेगा।

  
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
श्रीमत् राजमाता विजयाराजे सिंधिया  
चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.)  




1. वेतनमान (सातवें वेतनमान अनुसार) -	नियमित नियुक्ति हेतु
आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी -	56,100 - 1,77,500 + डी0ए0
महिला चिकित्सा अधिकारी -	56,100 - 1,77,500 + डी0ए0

टीप - समस्त पदों के लिये राज्य शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत वेतनमान/निश्चित मानदेय एवं अन्य भत्ते आदि देय होंगे।

2. आयु सीमा -	न्यूनतम
आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी -	25 वर्ष
महिला चिकित्सा अधिकारी -	25 वर्ष

टीप - आयु की गणना विज्ञापन जारी होने वाली तिथि के पश्चात् आने वाली 01 जनवरी के दिनांक को आधार मानकर गणना में ली जावेगी।

3. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।
- उपरोक्त चिन्हित पदों में SC= अनुसूचित जाति ST= अनुसूचित जनजाति OBC= अन्यपिछड़ा वर्ग EWS= आर्थिक रूप से कमजोर F= महिला पद हेतु आरक्षित है।
  - जाति प्रमाण पत्र : आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।

4. अहर्तायें :-

- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा शैक्षणिक पद विशेष के लिए निर्धारित अहर्ता।
- आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी - एम.सी.आई (एन.एम.सी.) द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान से एम.बी.बी.एस. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण।
- महिला चिकित्सा अधिकारी - एम.सी.आई (एन.एम.सी.) द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान से एम.बी.बी.एस. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण।

5. निरहर्तायें-

- विकृत चित्त वाला होने पर।
- दुश्चरित्र होने पर।
- शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
- नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशांसा - किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशांसा उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।
- विवाह संबंधी - जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 21 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।
- कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जावेगी साथ ही ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी संस्थित की जावेगी, जिसके लिये व्यक्ति स्वयं जवाबदेह रहेगा।

- कदाचरण संबंधी – किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
- ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो तो वह व्यक्ति नियुक्ति के लिये अपात्र रहेगा तथ्य को छिपाते हुये नियुक्ति प्राप्त करता है तो संज्ञान में आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी एवं नियुक्ति स्वयं निरस्त कर दी जावेगी।
- स्वास्थ्य संबंधी –चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाए तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा (मेडिकल बोर्ड)।
- ❖ उपरोक्त सूची में उल्लेखित पद पर चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिये परीक्षा पर की जावेगी।
- ❖ चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- ❖ उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी की वेबसाईट <https://shivpurimedicalcollege.com> एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा की वेबसाईट <http://www.medicaleducation.mp.gov.in> पर उपलब्ध है।

#### 6. चयन प्रक्रिया :-

विज्ञापित पदों हेतु अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में अवगत किया जाता है कि अभ्यर्थियों द्वारा किये गये आवेदन तथा निर्धारित वेटेज के आधार पर कुल 100 अंको में से 80 अंको की प्रवीण्य सूची बनाई जायेगी जो की उनके द्वारा प्राप्त अंको के वेटेज अनुसार पदों को श्रेणी वार तैयार की जावेगी। उक्त अनुसार योग्य पाये जाने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार पूर्व दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जावेगा एवं 20 अंको का साक्षात्कार हेतु प्रवेश दिया जावेगा।

- साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की संख्या एक पद पर 1:5 के अनुपात में अभ्यर्थी बुलाये जावेंगे।
- प्रवीण्य सूची तैयार करते समय यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं तो उम्मीदवारों की जन्मतिथि पर विचार किया जावेगा अर्थात् अधिक आयु के आवेदक को कम आयु के आवेदक के उपर रखा जावेगा। जन्मतिथि समान होने की स्थिति में ऐसे उम्मीदवार को वरीयता दी जावेगी, जिन्होंने आवेदन किये हुये पद हेतु निर्धारित आवश्यक न्यूनतम अहर्ता में अधिक अंक प्राप्त किये हैं। ऐसी स्थिति में जब उपरोक्त दोनो स्थितियों एक से अधिक आवेदक के लिये समान हो तो कक्षा 12 वीं में अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी।
- दस्तावेज सत्यापन में त्रुटी पाये जाने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
- दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता संबंधी समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी।
- भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत किसी भी उम्मीदवार की दावेदारी पर विचार नहीं किया जावेगा।

#### 8. आवेदन संबंधित समय तालिका :-

क्रमांक	गतिविधि	तारीख
1	ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि	07.01.2022
2	ऑनलाईन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	22.01.2022

उपरोक्त तिथियां शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शिवपुरी की आवश्यकता अनुसार परिवर्तित की जा सकती है यदि अभ्यर्थी द्वारा असत्य या गलत जानकारी आवेदन में दी जाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जावेगी।

9. आवेदन शुल्क :-



समस्त प्रवर्गों के आवेदक आवेदन शुल्क अनारक्षित वर्ग हेतु राशि रु. 2000/- (दो हजार रुपये मात्र) एवं आरक्षित वर्ग हेतु राशि रु. 1500/- (पंद्रह सौ रुपये मात्र) होगा।

10. आवेदन कैसे करें :-

11. चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी के स्वशासी मद A/C - **37825099328**, IFSC Code - **SBIN0030086** में आवेदन शुल्क जमा कराया जाना है एवं उक्त ट्रांजेक्शन की छायाप्रति अथवा **Dean, Government Medical College Near Kattha mill, Shivpuri Madhya Pradesh-473551** के नाम से डिमांड ड्राफ्ट (केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से **अधिष्ठाता कार्यालय, श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी** की आवक-जावक शाखा में जमा कराये जा सकते हैं। जो किसी भी स्थिति में लौटाया नहीं जावेगा। आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी में चिकित्सकीय, परिचारिका एवं सह चिकित्सकीय संवर्ग हेतु आवेदन एवं विषय..... तथा आवेदित पद का नाम..... और आरक्षित/अनारक्षित..... श्रेणी का उल्लेख आनिवार्य रूप से करें।** किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

महत्वपूर्ण टीप:-

उपरोक्त तिथियां शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी की आवश्यकता अनुसार परिवर्तित की जा सकती है। यह उम्मीदवारों के हित में है कि वे शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी की वेबसाइट <http://shivpurimedicalcollege.com> का नियमित रूप से अवलोकन करते रहे एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं व निर्देशों पर ध्यान दें। इस संबंध में शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी की कोई जबावदारी नहीं होगी। यदि आवेदक समय-समय पर महाविद्यालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं निर्देशों का अवलोकन करने में असफल होता है तो इसकी दावेदारी मान्य नहीं की जावेगी। परन्तु इसके पश्चात् भी यदि अभ्यार्थी द्वारा असत्य या गलत जानकारी आवेदन में दी जाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदक की अभ्यार्थिता निरस्त कर दी जावेगी।

  
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया  
चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.)  




## आवेदन का प्रारूप

.....के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र (अंतिम तिथि ...../...../2022)

नोट: सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।

स्वप्रमाणित  
फोटो

1. आवेदक का नाम .....
2. पुरुष / महिला.....
3. पिता / पति का नाम (उपनाम सहित).....
4. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित).....  
.....  
शहर का नाम..... फोन नं.....  
मोबाइल नं.....ईमेलआईडी.....
5. स्थाई पता.....  
.....  
शहर का नाम..... फोन नं.....  
मोबाइल नं.....
6. आधार कार्ड नम्बर (हो तो) .....
7. जन्मतिथि (हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची संलग्न करें).....
8. दिनांक / /2022 को आवेदक की आयु .....दिन ..... माह ..... वर्ष
9. आवेदक की वैवाहिक स्थिति- विवाहित / अविवाहित
10. विवाह का दिनांक- .....
11. वर्ग : अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग / विकलांग ..... (आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें )
12. मेडिकल काउन्सिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनांक .....  
अ. (एम.बी.बी.एस.)-  
ब. एमडी / एमएस-  
स. एमसीएच / डीएम-

13. शैक्षणिक योग्यताएं:—(प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड / वि.वि.	वर्ष	विषय	प्राप्तांक / पूर्णांक	एम.बी.बी.एस. के कुल प्राप्तांक/प्रतिशत	प्रयास (Attempt)
1	2	3	4	5	6	7	
1	MBBS First Prof.						
2	MBBS Second Prof.						
3	MBBS Final Part I						
4	MBBS Final Part II						
5	MD/MS/MCH/DM						
6	S.R.						

(प्रत्येक वर्ष का पृथक-पृथक भरे)

नोट: प्रत्येक परीक्षा के प्रयास (Attempt) प्रमाण पत्र अधिष्ठाता द्वारा प्रदत्त हो संलग्न करें।

14. अनुभव-----

15. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची -----

स्थान.....

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक.....

// घोषणा-पत्र //

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
2. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरुद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर